संख्या- 110/2017/ 3101/33-3-2017-100(26)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2017

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2017-18 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त (भाग-2) की धनराशि रू. 15898250000/- के आवंटन की धनराशि सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/शा0/60/2017-8/24/2017-18 दिनांक 21.12.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2017-18 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त (भाग-2) की धनराशि रू. 15898250000/- (रू. पन्द्रह अरब नवासी करोड बयासी लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2017-18 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग-0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकारप्रथम/ आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशकपंचायतीराजलेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पंचायतीराज विभाग

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में सामान्य बुनियादी अनुदान ¼बेसिक ग्रान्ट½ की प्रथम किश्त ¼भाग &2½ का ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का जनपदवार फाट

धनराशि रू. में।

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायतों को सामान्य बुनियादी अनुदान की आवंटित धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	211764690
2	बागपत	161685203
3	गाजियाबाद	180604120
4	गौतमबुध्दनगर	127662948
5	बुलन्दशहर	262162143
6	सहारनपुर	251987263
7	मुजफ्फरनगर	227185993
8	आगरा	258823510
9	अलीगढ़	245945928
10	महामायानगर	167885520
11	एटा	165818748
12	कासगंज	145468988
13	मैनपुरी	174721768
14	मथुरा	190620018
15	फिरोजाबाद	193004755
16	बरेली	263592985
17	बदायू	232909363
18	पीलीभीत	190143070

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19	शाहजहापुर	225437185
20	मुरादाबाद	196184405
21	अमरोहा	163751975
22	रामपुर	178378365
23	बिजनौर	287281378
24	लखनऊ	228298870
25	रायबरेली	238950698
26	अमेठी	190461035
27	हरदोई	325596160
28	उन्नाव	252623193
29	सीतापुर	362798065
30	खीरी	328616828
31	फैजाबाद	214944340
32	अम्बेडकरनगर	205087425
33	सुल्तानपुर	218759920
34	बाराबंकी	273131935
35	गोण्डा	266931618
36	बलरामपुर	175993628
37	बहराइच	249443543
38	श्रावस्ती	112559610
39	इलाहाबाद	379968175
40	कौशाम्बी	166772643
41	फतेहपुर	223211430
42	प्रतापगढ़	259618423
43	वाराणसी	211605708
44	चन्दौली	174085838
45	गाजीपुर	279014288

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	जौनपुर	345309990
47	मिर्जापुर	225119220
48	सोनभद्र	224006343
49	सन्तरविदासनगर	151828288
50	हमीरपुर	130365650
51	बांदा	166931625
52	चित्रकूट	140540530
53	महोबा	124642280
54	गोरखपुर	300476925
55	महाराजगंज	214308410
56	देवरिया	238155785
57	कुशीनगर	259141475
58	बस्ती	206200303
59	संतकबीरनगर	159777413
60	सिद्धार्थ नगर	202066758
61	आजमगढ़	351669290
62	मऊ	174403803
63	बलिया	244515085
64	कानपुर नगर	168203485
65	कानपुर देहात	198569143
66	फर्रूखाबाद	166613660
67	कन्नौज	160095378
68	इटावा	159141483
69	औरैया	155007938
70	झांसी	166613660
71	ललितपुर	151033375
72	जालौन	149125585

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

73	शामली	143561198
74	सम्भल	182193928
75	हापुड़	197138300
	योग-	15898250000

(रू. पन्द्रह अरब नवासी करोड बयासी लाख पचास हजार मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।